राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–486 / 2025

महेन्द्र मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. उप शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री चन्द्रभान राव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पदस्थापन / स्थानान्तरण 250किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के 2 पुत्रियां है, जो क्रमशः 11 व 8 वर्ष की हैं। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से पुत्रियों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पडेगा। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये तर्को पर विचार किया।
5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश**

राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

6. अतः हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष